न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 01/2025

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री रामगोपाल सिंह पुत्र श्री शिवकरण सिंह (विक्रेता), फूड प्लाजा, मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – वार्ड नम्बर 05, पोस्ट राईकोट, पुलिस थाना राउन, नन्दना, जिला भिण्ड मप्र) **(खाद्य कारोबारकर्ता वेन्डर)**
2. मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, फूड प्लाजा प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – सेकण्ड फ्लोर, 07, हरगोविन्द एनक्लेव, आनन्द विहार ईस्ट दिल्ली, दिल्ली 110092) **(मैसर्स व लाइसेन्सी)**
3. श्री मोहम्मद सज्जाद पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल मैनेजर व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फूड प्लाजा, मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – रतवाड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार पिन 847301) **(नॉमिनी)**

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : 1. अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामगोपाल सिंह स्वयं
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं

–: आदेश :–

दिनांक– 16.10.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अंजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक जयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.03.2024 को 12::45 पर खाद्य संरक्षा अधिकारी फूड प्लाजा, मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री रामगोपाल सिहं मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय फ्रिज में लूज पनीर रखा हुआ मिला, जिससे खाद्य पदार्थ बनाकर आम जनता कों विक्रय किया जा रहा था। उक्त पनीर (लूज) की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम पनीर, 256/– रूपयें श्री रामगोपाल सिंह को नगद देकर गवाह श्री गोपाल आर के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रामगोपाल सिह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पनीर लूज के चार नमूना भाग (प्रतयेक नमूना भाग में 200 ग्राम) तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1221 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर को श्री गोपाल आर, सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–1221 दिनाक 01.04.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/256/एक्ट/2024/282 दिंनाक 20.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री रामगोपाल सिंह द्वारा पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर रेफरल लेबोरेटरी से जाँच करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 27.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामगोपाल सिंह ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने कथन किया कि उनके फूड प्लाजा से लिया गया पनीर (लूज) का नमूना जाँच में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। तत्समय नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त नमूना अवमानक पाया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि पनीर (लूज) सरस ब्राण्ड उनके द्वारा निर्मित नहीं किया जाकर बाजार से खरीद कर उनकी दुकान से रेल यात्रियों को बेचा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वे इसके लिए दोषी नहीं है। वे इसी दुकान से ही अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पनीर लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत **अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी** पर कुल रु. **20,000/– (बीस हजार)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 16.10.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री रामगोपाल सिंह पुत्र श्री शिवकरण सिंह (विक्रेता), फूड प्लाजा, मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।(स्थायी पता – वार्ड नम्बर 05, पोस्ट राईकोट, पुलिस थाना राउन, नन्दना, जिला भिण्ड मप्र) **(खाद्य कारोबारकर्ता वेन्डर)**
6. मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, फूड प्लाजा प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता – सेकण्ड फ्लोर, 07, हरगोविन्द एनक्लेव, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110092) **(मैसर्स व लाइसेन्सी)**
7. श्री मोहम्मद सज्जाद पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल मैनेजर व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फूड प्लाजा, मैसर्स दीपक एण्ड कम्पनी, प्लेटफार्म नम्बर 01, रेल्वे स्टेशन, अजमेर। (स्थायी पता – रतवाड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार पिन 847301) **(नॉमिनी)**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर